भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 494
दिनांक 25 जून, 2019 को उत्तर देने के लिए

सीपीएसई की स्थापना

494. डॉ० सुकान्त मजूमदार:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक पश्चिम बंगाल में स्थापित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने ऐसे सीपीएसई जिन्हें बंद किया जाना तय है कि निपटान की जाने वाली भूमि को चिन्हित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भूमि निपटान के लिए क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) ऐसी सीपीएसई की परिसम्पत्तियों के निपटान से प्राप्त धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा सीपीएसई के लिए अन्य क्या पहल की गई है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री अरविन्द गणपत सावंत)

(क) : लोक उद्यम सर्वेक्षण 2017-18 जिसे संसद के दोनों सदनों में दिनांक 27.12.2018 को प्रस्तुत किया गया था, के अनुसार दिनांक 31.03.2018 तक 24 प्रचालनरत केन्द्रीय सरकार लोक उद्यम (सीपीएसईज़) थे जिनका रजिस्टर्ड कार्यालय पश्चिम बंगाल में है। ऐसे सीपीएसईज़ का विवरण अनुबंध – I में दिया गया है।

(ख) से (घ) : लोक उद्यम विद्याग में उपलब्ध सूचना के अनुसार, इन 24 सीपीएसईज़ में से जिनका पंजीकृत कार्यालय पश्चिम बंगाल राज्य में है, 5 सीपीएसईज़ नामत: हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड, बर्न स्टेण्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कारपोरेशन लिमिटेड और बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्ट लिमिटेड को सरकार द्वारा बन्द करने का अनुमोदन कर दिया गया है। इन पांच सीपीएईज़ के जमीन के निपटान की विस्तृत स्थिति अनुबंध – II में दी गई है।

सभी सीपीएसईज़ का नोडल मंत्रालय होने के कारण लोक उद्यम विभाग ने रुग्ण/घाटे में चल रहे सीपीएसईज़ को समयबद्ध आधार पर बन्द करने तथा उनकी चल एवं अचल परिसम्पत्तियों के निपटान करने के लिए दिनांक 14.06.2018 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक

मंत्रालय/विभाग/सीपीएसईज़ भूमि प्रबंधन एजेंसी (एलएमए) के साथ परामर्श करके बन्दी के अधीन सीपीएसईज़ की जमीन की पहचान करती है/ विक्रय करती है/जमीन का हस्तांतरण करती है। लोक उद्यम विभाग सीपीएसईज़ की जमीन तथा अन्य परिसम्पत्तियों के निपटान एवं उन पर वसूल की गई धन राशि के बारे में केन्द्रीकृत रूप से आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करता है।

(ङ.) : लोक उद्यम विभाग ने न्यू इंडिया 2022 के व्यापक विजन के संदर्भ में सीपीएसईज़ की भूमिका एवं कार्यप्रणाली को पुनर्परिभाषित करने के लिए वर्ष भर चलने वाली परामर्शी प्रक्रिया का समन्वय किया जिसका समापन दिनांक 9 अप्रैल, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित सीपीएसई कान्क्लेव में हुआ। इस कान्क्लेव में सीपीएसईज़ द्वारा जिन मुख्य चुनौतियां पर ध्यान देने के विषय सामने आए वे हैं, (i) सीपीएसई के जियो-स्ट्रैटजिक पहुंच को अधिकतम करना, (ii) देश के आयात बिल को कम करना, (iii) सीपीएसईज़ के मध्य नवोन्मेष एवं अनुसंधान का समेकन आदि। सीपीएसईज़ ने तदनुसार अपनी कार्य योजनाएं बनाई हैं।

इसके अलावा, सीपीएसईज़ की कार्यप्रणाली में सुव्यवस्थित सुधार लाने की दृष्टि से सीपीएसईज़ में निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के प्रबंधन के व्यवसायीकरण के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा दिनांक 16.01.2019 को एक परामर्श जारी किया गया है।

***

दिनांक 25.06.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 494 के भाग (क) से संदर्भित अनुबंध- I

पश्चिम बंगाल राज्य में पंजीकृत कार्यालय वाले सीपीएसईज की सूची

क्र सं.	मंत्रालय / विभाग / सीपीएसईज का नाम
	फार्मास्युटिकल्स विभाग
1	बंगला रसायन और फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
	कोयला मंत्रालय
2	कोल इंडिया लि.
3	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि.
	रक्षा उत्पादन विभाग
4	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लि.
	भारी उद्योग विभाग
5	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लि.
6	ब्रेथविट बर्न और जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.
7	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.
8	हिंदुस्तान केबल्स लि.
9	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड
	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
10	हिदुंस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्र . लि.
	खान मंत्रालय
1 1	हिदुंस्तान कॉपर लि.
	पेट्रोलियम एंव प्राकृतिक गैस मंत्रालय
12	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
13	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
	रेल मंत्रालय
14	ब्रथवेट एंड कंपनी लि.
15	बर्न स्टेडर्ड कंपनी लिमिटेड
	पोत परिवहन मंत्रालय
16	सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
17	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
	इस्पात मंत्रालय
18	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
19	एमएसटीसी लि.
20	ओडिसा खनिज विकास कंपनी लि.
21	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि.
	वस्त्र मंत्रालय
22	बर्डस जूट और निर्यात लि.
23	राष्ट्रीय जूट निर्माण निगम लि.
24	द जूट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.

दिनांक 25.06.2019 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतांराकित प्रश्न संख्या 494 के भाग (ख) से (घ) से संदर्भित <u>अनुबंध- II</u>

सरकार द्वारा बंद करने के लिए अनुमोदित 5 सीपीएसईज (पश्चिम बंगाल राज्य में पंजीकृत कार्यालय) की भूमि परिसंपत्तियों का विवरण

क्र.सं.	सीपीएसई	भूमि की कुल सीमा	निपटान की स्थिति
	भारी उद्योग विभाग		
1	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	कंपनी के पास लगभग 1273.58 एकड़ फ्री होल्ड भूमि है, जिसमें से 947.23 एकड़ भूमि रूपनारायणपुर , पश्चिम बंगाल में , 324.35 एकड़ भूमि हैदराबाद में और 2 एकड भूमि नरेंद्रपुर, पश्चिम बंगाल में है ।	एलएमए के रूप में एनबीसीसी, विभाग के साथ मिलकर डीपीई के दिनांक 14.6.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार अचल परिसंपत्तियों के निपटान के लिए प्रयास कर रहा है ।
	पोत परिवहन मंत्रालय		
2	केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि	कंपनी के पास असम में 13.82 एकड़ और पश्चिम बंगाल में 17.45 एकड़ भूमि है। संपूर्ण 31.27 एकड़ भूमि फ्री होल्ड है।	मंत्रिमण्डल के दिनांक 31.8.2016 के अनुमोदन के अनुसार केंद्र सरकार/ सीपीएसईज / राज्य सरकार / राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को भूमि आवंटित की गई है ।
	रेल मंत्रालय		
3	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	कंपनी के पास कुल 975.71 एकड़ भूमि है जिसमें 422.84 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि और 552.87 एकड़ लीज होल्ड भूमि शामिल है।	लंबित मुकदमेबाजी के कारण भूमि का निपटान नहीं हो सका।
	वस्त्र मंत्रालय		
4	राष्ट्रीय जूट विनिर्माण निगम (एनजेएमसी)	कंपनी के पास कुल 327.836 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि है।	एनजेएमसी की परिसंपत्तियों का निपटान दिनांक 14.06.2018 के डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। एनबीसीसी को एलएमए के रूप में नियुक्त किया गया है ।
5	बड्र्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (बीजेईएल)	कंपनी के पास पश्चिम बंगाल में कुल 49.677 एकड़ भूमि है	डीपीई के दिनांक 14.06.2018 के दिशानिर्देशों के अनुसार बीजेईएल की परिसंपत्तियों का निपटान किया जाएगा ।